

समाहरणालय, गोड्डा।

(जिला भू-अर्जन शाखा)

E-Mail- goddadlao@gmail.com

प्रपत्र VII

अधिघोषणा

(अधिनियम-30/2013 की धारा-19 (1) के अधीन)

संख्या- 90/2015-16 (रेलवे)61...../भूअ0 गोड्डा दिनांक :-10/01/19.....

चूँकि उपायुक्त, गोड्डा को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ यथा परियोजना गोड्डा से पीरपैती नई बी.जी. रेलवे लाईन निर्माण हेतु मौजा- रूपुचक, थाना नं०- 351, अंचल- पथरगामा, जिला- गोड्डा में कुल- 0.030 एकड़ यानि हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है।

इसलिए अधिघोषणा किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खंड है, जो मानक माप से कर्मावेश 0.030 एकड़ यानि हेक्टेयर है और जो मौजा- रूपुचक, थाना नं०- 351, अंचल- पथरगामा, जिला- गोड्डा में है, जिसका विवरण निम्नलिखित है :-

क्रम सं०	खाता सं०	सर्वे भूखंड सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़)	हिस्से की भूमि का रकवा (एकड़)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
								उत्तर	दक्षिण	पूरब	पश्चिम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1						0.0015	रमजान अंसारी, पिता- स्व० हनीफ मियाँ	पथरकारनी माल	398	चिलरा	397 अंश
2	12	397	निजी	धानी II	0.006	0.0015	गुलजार अंसारी, पिता- स्व० हनीफ मियाँ				
3						0.0030	सोवराती अंसारी, पिता- स्व० नशीरउद्दीन				
4						0.00134	शिवचरण मड़ैया, पिता- स्व० विभीषण मड़ैया	399	402	चिलरा	400 अंश
5						0.00134	रमेश मड़ैया, पिता- स्व० विभीषण मड़ैया				
6	20	400	निजी	धानी II	0.016	0.00266	सहदेव मड़ैया, पिता- स्व० धनीराम मड़ैया				
7						0.00266	रसिक मड़ैया, पिता- स्व० धनीराम मड़ैया				
8						0.0040	माने मड़ैया, पिता- स्व० बाबुलाल मड़ैया				
9						0.0040	कलावती देवी, पति- स्व० वालम मड़ैया				
10						0.0020	गंगाराम मड़ैया, पिता- स्व० बुद्धो मड़ैया	397	399	चिलरा	398 अंश
11	21	398	निजी	धानी II	0.008	0.0010	बोगदे मड़ैया, पिता- स्व० पैरू मड़ैया				
12						0.0005	लुद्धु मड़ैया, पिता- स्व० डोमन मड़ैया				

13				0.0005	हेमल मडैया, पिता- स्व0 डोमन मडैया			
14				0.0010	लालमोहन मडैया, पिता- स्व0 पटवारी मडैया			
15				0.0010	श्यामसुन्दर मडैया, पिता- स्व0 पटवारी मडैया			
16				0.0010	रामचन्द्र मडैया, पिता- स्व0 कन्दु मडैया			
17				0.0005	दुर्गी देवी, पिता- स्व0 मुन्शी मडैया			
18				0.0005	चुनीया देवी, पिता- स्व0 मुन्शी मडैया			
कुल रकवा :-			0.030	0.030	एकड़			

यह अधिघोषणा हितबद्ध व्यक्तियों की आपत्तियों के सुनने और अधिनियम-30/2013 की धारा-15 में प्रदत्त यथा उपबंधित सम्यक जाँच के पश्चात किया गया है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित परिवारों की संख्या शून्य है।

मौजा- रुपुचक, थाना नं०- 351, अंचल- पथरगामा, जिला- गोड्डा में कुल- 0.030 एकड़ यानि हेक्टेयर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा के कार्यालय में किसी कार्य दिवस के दिन भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना के सार* नीचे दिये गये हैं :-

क्रमांक	पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन का हकदारी का लाभ	हकदारी/उपबंध
1	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन	प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब को 50000.00 (पचास हजार) रू० पुनर्व्यवस्थापन भत्ता दिया जायेगा।

उपरोक्त भूमि चिन्हित एवं मापित है, इस जमीन में इच्छुक/हितबद्ध सभी व्यक्ति, स्वयं अथवा प्रतिनिधि/अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक-11.02.2019 से 18.02.2019 तक कार्यालय अवधि- 11:00 बजे पूर्वाह्न से 03:00 बजे अपराह्न तक श्री अनिल कुमार तिकी, अपर समाहर्ता, गोड्डा/श्री पवन कुमार, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा के समक्ष उपस्थित होकर अपना आवेदन दो प्रति में दे सकते हैं एवं प्राप्ति प्राप्त कर लेंगे।

अपने दावे का प्रकार और क्षतिपूर्ति के लिए किसी दावे एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन से संबंधित दावे या धारा- 12 के तहत जमीन के मेजरमेंट से संबंधित आपत्ति/दावा प्रस्तुत करेंगे। साथ ही बँटवारे के आधार पर प्राप्त भूमि के दावा के संबंध में सक्षम न्यायालय का आदेश की प्रति देंगे।


9/1/19
उपायुक्त,
गोड्डा।

ज्ञापांक 61 / भू0अ0 दिनांक :- 10.01.19 ।

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, गोड्डा को जिला गजट के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि :- जिला जन-सम्पर्क पदाधिकारी, गोड्डा को प्रेषित । निदेश है कि इस अधिघोषणा का प्रकाशन यथाशीघ्र दो हिन्दी एवं अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों (स्थानीय संस्करण) में करने का कष्ट करेंगे । साथ ही प्रकाशित अधिघोषणा का पेपर कटिंग जिला भू-अर्जन कार्यालय, गोड्डा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना-विज्ञान पदाधिकारी, गोड्डा को प्रेषित । निदेश है कि इस अधिघोषणा को गोड्डा जिले के वेबसाइट में यथाशीघ्र प्रदर्शित करना सुनिश्चित करेंगे ।


उपायुक्त,
गोड्डा ।

ज्ञापांक 61 / भू0अ0 दिनांक :- 10.01.19 ।


प्रतिलिपि :- वन प्रमंडल पदाधिकारी, वन प्रमंडल, गोड्डा को सूचनार्थ प्रेषित । अनुरोध है कि अधिघोषित दाग संख्या में अवस्थित वृक्षादि का मूल्यांकन कर मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की कष्ट करेंगे ।

प्रतिलिपि :- अपर समाहर्ता, गोड्डा/अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा/भूमि सुधार उपसमाहर्ता, गोड्डा को सूचनार्थ प्रेषित । निदेश है कि इस अधिघोषणा को यथाशीघ्र अपने कार्यालय में प्रदर्शित करने का कष्ट करेंगे ।

प्रतिलिपि :- कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग, गोड्डा को सूचनार्थ प्रेषित । अनुरोध है कि अधिघोषित दाग संख्या में अवस्थित भौतिक संरचना का मूल्यांकन कर मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की कष्ट करेंगे ।

प्रतिलिपि :- अंचल अधिकारी, पथरगामा को निदेश है कि उक्त अधिघोषणा जारी किये जाने के पश्चात सहज दृश्य स्थलों पर चिपकाना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रतिलिपि :- अधियाची पदाधिकारी, उपमुख्य अभियंता (निर्माण), पूर्व रेलवे, भागलपुर को सूचनार्थ प्रेषित । निदेश है कि इस अधिघोषणा को यथाशीघ्र अपने कार्यालय में प्रदर्शित करना सुनिश्चित करेंगे ।


उपायुक्त,
गोड्डा ।

ज्ञापांक 61 / भू0अ0 दिनांक :- 10.01.19 ।

प्रतिलिपि - प्रमंडलीय आयुक्त, संधाल परगना प्रमंडल, दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि :- निदेशक, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड राँची को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि - सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


उपायुक्त,
गोड्डा ।